न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद
(अरूण कुमार हसीजा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र धारा 89 : 01/2025
दायर दिनांक : 25.02.2025
निर्णय दिनांक : 12.08.2025

—: अनवान :—

श्री सुमित मोदी पिता सुरेश जी मोदी निवासी एम.एल.ए भवन छावनी नीम का थाना सीकर जिला सीकर **— प्रार्थी**

:: बनाम ::

1. श्री उदयलाल पिता गेरू जी जाति गुर्जर निवासी बल्लों का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमन्द
2. श्रीमती कंकु बाई पुत्री हुक्मा उर्फ ओगड जाति गुर्जर निवासी माकरडा जिला राजसमन्द
3. दुदाराम पुत्र हुक्मा उर्फ ओगड जाति गुर्जर निवासी माकरडा जिला राजसमन्द
4. भवंर लाल पुत्र हुक्मा उर्फ ओगड जाति गुर्जर निवासी बल्लो का खेडा तह. आमेट जिला राजसमन्द
5. भोजाराम पुत्र गेरू जाति गुर्जर निवासी बल्लो का खेडा तह. आमेट जिला राजसमन्द
6. मोतीलाल हुक्मा उर्फ ओगड जाति गुर्जर निवासी बल्लो का खेडा तह. आमेट जिला राजसमन्द
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय आमेट तहसील आमेट जिला राजसमन्द
8. खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान राज्य जरिये खनिज अभियन्ता आमेट जिला राजसमन्द

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू—राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपस्थितः–

1– श्री शेषमल गाडरी अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री रितेश टुकलिया अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06
3– श्री अनिल बागोरा राजकीय अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 07
4– अप्रार्थी संख्या 08 अनुपस्थित

:: निर्णय ::

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण के इस न्यायालय में दिनांक 25.02.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 89 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम निकट ग्राम बल्लों का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद में क्षेत्रफल 4.32 हैक्टर का खनन पट्टा एम.एल नं. 99/2007/2024 खनिज क्वार्टज फेल्सफार का स्वीकृत होकर प्रार्थी अपने खनन क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है। उपरोक्त खनन पट्टा क्वार्टज फेल्सफार का पूर्व में लक्ष्मण सिंह खंगरोत पिता माधु सिंह जी खंगरोत निवासी भोजपुरा के पक्ष में स्वीकृत था जिसे प्रार्थी ने कार्यालय खनिज अभियन्ता खान एव भू विज्ञान विभाग आमेट जिला राजसमन्द के द्वारा कार्यालय अतिरिक्त निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर जॉन उदयपुर के आदेश क्रमांक अनिखान/उदय–जॉन/अप्र./आमेट/सी.सी.2/एम.एल.99/2007/2024 दिनांक 11–11–2024 को प्रार्थी के नाम पर हस्तान्तरण किया जाकर संविदा का पंजीयन दिनांक 18–11–2024 को हुआ। तब से प्रार्थी खननधारी होकर अपने खनन क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है। ग्राम बल्लों का खेडा तहसील आमेट जिला राजसमंद में निम्न आराजीयात स्थित है जिसमें प्रार्थी का खनन क्षेत्र आ रहा है –

क्र.सं.	आराजी नम्बर	रकबा	किस्म
1.	197	3.4750	बंझड
2.	199	0.6144	बंझड
3.	200	0.2328	बंझड
4.	201	1.9898	बंझड
5.	202	2.0622	बंझड
6.	204	0.0889	बंझड

उक्त आराजीयात में से आराजी सख्या 204 व 202 प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे आधिपत्य होकर प्रार्थी स्वंय की है एवं आराजी संख्या 197, 199, 200, 201 विपक्षीगण की होकर विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा न. 161 रकबा 2.15 हैक्टर जिसके नया खसरा नम्बर 202 रकबा 2.0622 है किस्म बंझड एवं खसरा नम्बर 204 रकबा 0.0889 हैक्टर बंझड जो प्रार्थी की खातेदारी है। इसके अलावा पुराना खसरा संख्या 146 रकबा 6.41 जिसके नये नम्बर 197, 199, 200, 201,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जो विपक्षीगण की खातेदारी होकर किस्म बंझड है भूमि काश्त करने योग्य नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं होती है, उक्त भूमि में कोई वृक्ष कुंआ इत्यादि भी नहीं है। उपरोक्त भूमि में सक्षम अधिकारी खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा खनन पट्टा संख्या 99/2007 स्वीकृत कर रखा था जो नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में हस्तान्तरण होकर प्रार्थी पट्टाधारी है। प्रार्थी अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी विपक्षीगण को नियमानुसार सरफेस राईट का मुआवजा अदा कर खनन कार्य करना चाहता है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश है। विपक्षी संख्या एक से छह को प्रार्थी ने कई बार मौखिक एवं व्यक्तिगत रूप से मिलकर अपने खनन क्षेत्र में आ रही कृषि भूमियॉ जो उनके नाम पर राजस्व रेकर्ड में दर्ज है का सरफेस राईट का मुआवजा प्राप्त कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देवे जिनके लिये विपक्षीगण बाध्य है व प्रार्थी के कई बार कहने पर भी विपक्षीगण टालमटुल जवाब देकर प्रार्थी के पक्ष में अनापत्ति प्रमाण पत्र देने से मना कर दिया और अब प्रार्थी के खनन क्षेत्र में व्यवधान और बाधा उत्पन्न करने पर आमादा है और प्रार्थी को भूमि उनके नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज होने के आधार पर खनन कार्य नहीं करने दे रहे है। प्रार्थी के खनन क्षेत्र की भूमि में नीचे पर्याप्त मात्रा क्वार्टस फेल्सफार खनिज उपलब्ध है। प्रार्थी अपने खनन पट्टे में सुचारू रूप से खनन कार्य करना चाहता है इसके लिये भू राजस्व अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत प्रार्थी पट्टेधारी को कानूनी अधिकार है कि सतही अधिकार का मुआवजा अदा कर भूमि का कब्जा प्राप्त कर अपने खनन क्षेत्र में खनन कार्य कर खनिज का उत्पादन एवं निर्गमन कर सके। परन्तु विपक्षी सं. 1 लगायत 6 के द्वारा इंकार करने व धमकी देने के कारण प्रार्थी पट्टाधारी को जरिये आप न्यायालय से सतिही अधिकार का मुआवजा तय करवाने हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा में आने वाली विपक्षी संख्या एक से छः की भूमि के सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित कर सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित फरमाया जावे। जो प्रार्थी अदा करने हेतु उद्धत एवं तत्पर है और प्रार्थी तत्कालीन समय की डी.एल.सी. रेट या माननीय न्यायालय जो भी उचित समझे वह भी अन्तरिम राशि जमा कराने को प्रार्थी उद्धत व तत्पर है जिससे विपक्षी संख्या एक से सात प्रार्थी के खनन कार्य करने में किसी प्रकार की बाधा एवं अवरोध उत्पन्न नहीं करे एवं प्रार्थी को खनन कार्य करने से नहीं रोके। उक्त कार्य विपक्षी संख्या एक से छः अपने अन्य किसी परिजन, रिश्तेदार, नौकर, चाकर एजेन्ट आदि के जरिये भी नहीं करावे।

प्रकरण को दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या एक से छः की ओर से अधिवक्ता श्री रितेश टुकलिया उपस्थित। विपक्षी संख्या सात की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी। विपक्षी संख्या एक से छः के अधिवक्ता ने दिनांक 08.07.25 को उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। प्रार्थी अपने दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करावे। प्रार्थी को कहां खनन क्षैत्र स्वीकृत हुआ है यह विपक्षीगण के जानकारी में नहीं है, किन्तु विपक्षीगण की जमीन में

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार है. प्रार्थी से पूर्व किस व्यक्ति के नाम पट्टा स्वीकृत था जिसकी जानकारी विपक्षीगण को नहीं है. प्राथी किस क्षेत्र में खनन कार्य कर रहा है, वह प्रार्थी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करायें, विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में कोई भी खनन कार्य नहीं हो रहा है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 में वर्णित तथ्य ग्राम बल्लों का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 197, 199, 200, 201, 202, 204 स्थित होना स्वीकार है. किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रार्थी का खनन क्षेत्र होना अस्वीकार है। उक्त भूमि में आराजी संख्या 197, 199, 200, 201 विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज होकर उनका कब्जा आधिपत्य विद्यमान है। विपक्षीगण अपने कब्जे आधिपत्य की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है उस पर अपना श्रम लगाकर भूमि को उपजाऊ व विपक्षीगण के उपयोग हेतु बनाने का प्रयास कर रहे है। उक्त भूमि पर वृक्ष भी विद्यमान है, तथा उक्त भूमि के पडौस में ही विपक्षीगण की अन्य उपजाऊ भूमि व कुंआ विद्यमान है, जिसमें विपक्षीगण खेती करते है. उक्त भूमि पर खनन कार्य होगा तो विपक्षीगण की भूमि क्षतिग्रस्त हो जाएगी व विपक्षीगण की सम्पूर्ण कृषि भूमि अनउपजाऊ होकर कृषि उपयोग हेतु नहीं रहेगी। जिससे विपक्षीगण व उसके परिवार को भारी क्षति होगी व उनके आजीविका के सम्पूर्ण रास्ते बंद हो जाएंगे। जिससे विपक्षीगण उक्त क्षतिपूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं है व विपक्षीगण को होने वाली क्षति की गणना करना भी अर्थ में सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा उसकी भूमि में खनन कार्य किया जा रहा है, विपक्षीगण की भूमि पर आज भी विपक्षीगण का कब्जा आधिपत्य विद्यमान है उक्त भूमि पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है. उक्त भूमि में खनन कार्य करने से विपक्षीगण को भारी सारवान क्षति होगी एवं उनकी उक्त भूमि के पास मौजुद उपजाऊ कृषि भूमि भी क्षतिग्रस्त होगी। इस कारण से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को रोका जा रहा है। विपक्षीगण के मन में कोई बदनियति नहीं है ना ही विपक्षीगण प्रभावशाली व्यक्ति है बल्कि प्रार्थी स्वय एम.एल.ए. होकर प्रभावशाली होकर जबरन विपक्षीगण की भूमि को हडपना चाहता है और विपक्षीगण को उनकी उपजाऊ भूमि को क्षतिग्रस्त करना चाहता है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जहां से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा उक्त वाद में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश जारी किया हुआ है। विपक्षीगण की भूमि में प्रार्थी कोई खनन कार्य नहीं कर रहा है। प्रार्थी केवल मात्र किसी भी कार्यालय से कोई स्वीकृति प्राप्त कर विपक्षीगण की भूमि पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। विपक्षीगण स्वंय उक्त भूमि को उपजाऊ बना रहे है व उक्त भूमि के पास स्थित भूमि पर कृषि कार्य भी कर रहे है। उक्त भूमि पर खनन कार्य करने से विपक्षीगण का अपनी आजीविका का सम्पूर्ण साधान समाप्त हो जाएंगें। जिस कारण से विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त भूमि में खनन कार्य करने से रोक रहे है किन्तु प्रार्थी एक विधायक होकर अपने अधिकारों का दुरूपयोग कर विपक्षीगण की भूमि को हडपना चाहता है व आंशिक भूमि का हवाला देकर सम्पूर्ण भूमि को क्षतिग्रस्त करना चाह रहा है जो कि विधि विरूद्ध है। प्रार्थी के पास पहले से ही भूमि विद्यमान है जिस पर वह खनन कार्य कर रहा है.

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

जिससे राज्य सरकार को आय हो रही है विपक्षीगण की भूमि में खनन कार्य करने से राज्य सरकार की आय पर अत्यधिक प्रभाव नहीं पड़ेगा किन्तु विपक्षीगण व उसके परिवार की सम्पूर्ण परिस्थिति प्रभावित होगी। विपक्षीगण की आजीविका हेतु उक्त भूमि ही है जिससे विपक्षीगण अपना भरण पोषण करते है अगर यह भूमि भी प्रार्थी हडप करता है तो विपक्षीगण को भारी सारवान क्षति होगी व भविष्य में विपक्षीगण भूमि विहिन हो जाएँगे। जिसका मुल्यांकन अर्थ में कदापि सम्भव नहीं होगा। जिस कारण से प्रार्थी खनन कार्य हेतु भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है ना ही प्रार्थी विपक्षीगण की उक्त भूमि को डी.एल.सी. रेट पर सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित कर भूमि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण प्रार्थी से कोई मुआवजा राशि प्राप्त नहीं करना चाहते है वह अपनी भूमि को उपजाऊ बनाकर क्षतिग्रस्त होने से रोकना चाहते है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की याचिका अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से सव्यय निरस्त फरमाई जावें एवं विपक्षीगण को उक्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल नहीं करे, ना ही विपक्षीगण की उक्त भूमि को प्रार्थी क्षतिग्रस्त, नष्ठ, खुर्द बुर्द करे, ना ही उक्त कार्य विपक्षीगण अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट या रिश्तेदार से करावे।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि आराजी सख्या 204 व 202 प्रार्थी के स्वामित्व कब्जे आधिपत्य होकर प्रार्थी स्वंय की है एवं आराजी संख्या 197, 199, 200, 201 विपक्षीगण की होकर विपक्षीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में अंकित है। उपरोक्त वर्णित भूमि के पुराने खसरा न. 161 रकबा 2.15 हैक्टर जिसके नया खसरा नम्बर 202 रकबा 2.0622 है किस्म बंझड एवं खसरा नम्बर 204 रकबा 0.0889 हैक्टर बंझड जो प्रार्थी की खातेदारी है। इसके अलावा पुराना खसरा संख्या 146 रकबा 6.41 जिसके नये नम्बर 197, 199, 200, 201, जो विपक्षीगण की खातेदारी होकर किस्म बंझड है भूमि काश्त करने योग्य नहीं है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई काश्त नहीं होती है, उक्त भूमि में कोई वृक्ष कुंआ इत्यादि भी नहीं है। उपरोक्त भूमि में सक्षम अधिकारी खान एवं भू विज्ञान विभाग द्वारा खनन पट्टा संख्या 99/2007 स्वीकृत कर रखा था जो नियमानुसार प्रार्थी के पक्ष में हस्तान्तरण होकर प्रार्थी पट्टाधारी है। प्रार्थी अपने खनन पट्टा क्षेत्र में खनन कार्य करना चाहता है जिसके लिये प्रार्थी विपक्षीगण को नियमानुसार सरफेस राईट का मुआवजा अदा कर खनन कार्य करना चाहता है जिसके लिये यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में स्वीकृत खनन पट्टा में आने वाली विपक्षी संख्या एक से छः की भूमि के सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित कर सतही अधिकार का मुआवजा निर्धारित फरमाया जावे। जो प्रार्थी अदा करने हेतु उद्धत एवं तत्पर है और प्रार्थी तत्कालीन समय की डी.एल.सी. रेट या माननीय न्यायालय जो भी उचित समझे वह भी अन्तरिम राशि जमा कराने को प्रार्थी उद्धत व तत्पर है।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम बल्लों का खेड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में आराजी संख्या 197, 199, 200, 201, 202, 204 स्थित होना स्वीकार है. किन्तु सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रार्थी का खनन क्षेत्र होना अस्वीकार है। उक्त भूमि में आराजी संख्या 197, 199, 200,

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

201 विपक्षीगण के नाम पर खातेदारी में दर्ज होकर उनका कब्जा आधिपत्य विद्यमान है। विपक्षीगण अपने कब्जे आधिपत्य की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है तथा उस पर अपना श्रम लगाकर भूमि को उपजाऊ व विपक्षीगण के उपयोग हेतु बनाने का प्रयास कर रहे है। उक्त भूमि पर वृक्ष भी विद्यमान है, तथा उक्त भूमि के पडौस में ही विपक्षीगण की अन्य उपजाऊ भूमि व कुंआ विद्यमान है, जिसमें विपक्षीगण खेती करते है। उक्त भूमि पर खनन कार्य होगा तो विपक्षीगण की भूमि क्षतिग्रस्त हो जाएगी व विपक्षीगण की सम्पूर्ण कृषि भूमि अनउपजाऊ होकर कृषि उपयोग हेतु नहीं रहेगी। जिससे विपक्षीगण व उसके परिवार को भारी क्षति होगी व उनके आजीविका के सम्पूर्ण रास्ते बंद हो जाएंगे। जिससे विपक्षीगण उक्त क्षतिपूर्ति करने हेतु सक्षम नहीं है व विपक्षीगण को होने वाली क्षति की गणना करना भी अर्थ में सम्भव नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा उसकी भूमि में खनन कार्य किया जा रहा है, विपक्षीगण की भूमि पर आज भी विपक्षीगण का कब्जा आधिपत्य विद्यमान है उक्त भूमि पर कोई खनन कार्य नहीं हो रहा है. उक्त भूमि में खनन कार्य करने से विपक्षीगण को भारी सारवान क्षति होगी एवं उनकी उक्त भूमि के पास मौजुद उपजाऊ कृषि भूमि भी क्षतिग्रस्त होगी। इस कारण से विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी को रोका जा रहा है। विपक्षीगण के मन में कोई बदनियति नहीं है ना ही विपक्षीगण प्रभावशाली व्यक्ति है बल्कि प्रार्थी स्वय एम.एल.ए. होकर प्रभावशाली होकर जबरन विपक्षीगण की भूमि को हडपना चाहता है और विपक्षीगण को उनकी उपजाऊ भूमि को क्षतिग्रस्त करना चाहता है। विपक्षीगण अपनी भूमि पर काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त भूमि पर विपक्षीगण ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जहां से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा उक्त वाद में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश जारी किया हुआ है। विपक्षीगण की भूमि में प्रार्थी कोई खनन कार्य नहीं कर रहा है। प्रार्थी केवल मात्र किसी भी कार्यालय से कोई स्वीकृति प्राप्त कर विपक्षीगण की भूमि पर अधिकार स्थापित नहीं कर सकता। विपक्षीगण स्वंय उक्त भूमि को उपजाऊ बना रहे है व उक्त भूमि के पास स्थित भूमि पर कृषि कार्य भी कर रहे है। उक्त भूमि पर खनन कार्य करने से विपक्षीगण का अपनी आजीविका का सम्पूर्ण साधान समाप्त हो जाएंगें। जिस कारण से विपक्षीगण प्रार्थी को उक्त भूमि में खनन कार्य करने से रोक रहे है प्रार्थी आंशिक भूमि का हवाला देकर सम्पूर्ण भूमि को क्षतिग्रस्त करना चाह रहा है जो कि विधि विरूद्ध है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी की याचिका अवैध एवं विधि विरूद्ध होने से सव्यय निरस्त फरमाई जावें। राजकीय अधिवक्ता ने उक्त संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ती जाहिर नही की।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर गहन मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 ने अपनी बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय आमेट में भी वाद प्रस्तुत कर रखा है जहां से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेट द्वारा उक्त वाद में राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति का आदेश जारी किया हुआ है लेकिन उक्त संबंध में कोई दस्तावेज/साक्ष्य न्यायालय में पेश नही किये है। साथ ही राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेट में चलने वाला कोई भी दावा भूमि के सतही

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अधिकारो को लेकर होता हैं। खनन गतिविधियों को निर्धारित करने का क्षैत्राधिकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी आमेट का नही हैं। अतः साक्ष्य के अभाव व गुणावगुण के आधार पर अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 से 06 का यह कथन भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 के अर्न्तगत मुआवजा निर्धारण के प्रकरण पर कोई प्रभाव नही डालता हैं। साथ ही उक्त प्रकरण भूमि अधिग्रहण का न होकर, भू–राजस्व अधिनियम की धारा 89 में सतही अधिकार (Surface Rights) का मुआवजा देने से संबंधित हैं। विधिक प्रावधानों के अनुसार RFCTLARR Act., 2013 की धारा 26(1) के तहत भूमि की बाजार दर निर्धारित करते हुये साधारणतया DLC दर को ही बाजार दर लिया जाता हैं। धारा 26 के अनुसार कलक्टर भूमि की बाजार दर निर्धारण करने में निम्नलिखित मानदंड अपनाएगा, अर्थात :–

(क) उस क्षैत्र में, जहॉ भूमि स्थित है, यथास्थिति, विक्रय विलेख या विक्रय के करार के रजिस्ट्रीकरण के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1989 (1899 का 2) में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य, यदि कोई हो, या

(ख) निकटवर्ती ग्राम या निकटवर्ती पडोसी क्षैत्र में स्थित उसी प्रकार की भूमि के लिए औसत विक्रय कीमत, या

(ग) प्राइवेट कंपनियों के लिए या पब्लिक– प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि के अर्जन के मामले में धारा 2 की उपधारा (2) के अधीन करार पाए गए प्रतिकर की सम्मत रकम,

जो भी अधिक हो।

नियमानुसार इस प्रकरण में धारा 26 (क) के अनुसार बाजार दर निर्धारित की जानी चाहिए, जो भूमि अधिग्रहण के सभी मामलों में भूमि की DLC दर के बराबर ली जाती हैं और इस DLC को उसके पश्चात मुआवजा गणना के लिये 1 से 2 के बीच में (अधिकतम 2) किसी गुणांक से गुणा किया जाता हैं। परन्तु तहसीलदार की रिपोर्ट व अप्रार्थी अधिवक्ता के आपतियों द्वारा वित विभाग का परिपत्र दिनांक 24 फरवरी 2021 इस न्यायालय के संज्ञान में लाया गया हैं। परिपत्र के बिन्दु संख्या 6(ii) इस प्रकार है : **नया खनन पट्टा (चाहे नीलाम के माध्यम से या अन्यथा मंजूर किया गया हो), खनन पट्टे के नवीकरण या खनन पट्टे के अंतरण के मामले में दरें, उस क्षैत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी और जहॉ उस क्षैत्र की कृषि भूमि की दरें अवधारित नही की गयी हैं, लगे हुए क्षैत्र की कृषि भूमि की दरों के चार गुना के समतुल्य होंगी।**

अतः उक्त परिपत्र के अनुसार उक्त भूमि की DLC दर को चार के गुणांक से गुणा किया जाकर भूमि की बाजार दर निर्धारित की जाती हैं।

Issue No. 02 **<u>तोषण राशि की गणना</u>** :–

RFCTLARR Act., 2013 की धारा 30 में अंतिम मुआवजा राशि के निर्धारण में तोषण राशि दिये जाने का प्रावधान हैं। अतः धारा 30 के अनुसार मुआवजे के समतुल्य तोषण राशि दिये जाने का निर्णय किया जाता हैं।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रकरण में अन्तिम मुआवजा निर्धारण के लिये सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द को RFCTLARR Act., 2013 के अनुसार गणना करने हेतु पत्र लिखा गया। सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार RFCTLARR Act., 2013 के तहत अवाप्त भूमि अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी डी.एल.सी. दर से मुआवजा राशि की गणना करने के नियम है। प्रस्तावित प्रकरण में संलग्न खनन लीज का पंजीयन दिनांक 19.04.2008 को किया गया है। अतः पंजीयन तिथि 19.04.2008 को प्रभावी डी.एल.सी.दर से गणना किया जाना उचित बताया है। साथ ही RFCTLARR Act., 2013 के अनुसार प्रस्तावित भूमि की किमत का अधिकतम दुगनी राशि ग्रामीण क्षैत्र में बाजार मूल्य माना गया है। प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द से प्राप्त रिपोर्टानुसार खनन लीज (एम0एल0 99/2007) का पंजीयन उप पंजीयक आमेट के द्वारा दिनांक 19.04.2008 को किया जाना अंकित हैं। राज्य सरकार की ओर से पंजियन दिनांक 19.04.2008 को उक्त भूमि खनन के लिए प्रभावी हुई हैं। अतः उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मुआवजे की गणना वर्ष 2008 को प्रभावी DLC दर के अनुसार किया जाना चाहिए।

बहुपक्षीय विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया तथा तहसीलदार आमेट एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा, कलैक्ट्रेट, राजसमन्द तथा सक्षम प्राधिकारी, भूमि अवाप्ति एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, राजसमन्द की रिपोर्ट तथा समय–समय पर जारी परिपत्रों, अन्य विधिक दिशा निर्देशों एवं रक्षित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। ऐसा कोई परिपत्र/दिशा निर्देश और न्यायिक दृष्टान्त इस न्यायालय के ध्यान में नही आया, जिसमें यह स्पष्ट किया गया हो कि इस प्रकार के प्रकरण में जहॉ खनन लीज 2007 में जारी की गई हो, उसमें मुआवजा निर्धारण के लिये वर्तमान DLC दर को लिया जावें या पंजियन वर्ष 2008 की DLC दर। अतः इस विधिक बिन्दु के संदर्भ में कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नही हैं। अतः मूल काश्तकार को उसकी भुमि का तर्कसंगत उचित मुआवजा व वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रचलित DLC दर के अनुसार मुआवजा देने का निर्णय किया जाता हैं।

खनि अभियंता राजसमन्द की रिर्पोटानुसार राजस्व ग्राम बल्लो का खेडा तहसील आमेट में खनिज क्वार्टज फैल्सफार की स्वीकृत एम.एल. नं. 99/2007 में पडने वाले खसरा संख्या एवं रकबे का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	खसरा नम्बर	भूमि की किस्म	खसरे का कुल रकबा (हेक्टेयर में)	लीज क्षैत्र में आने वाला कुल रकबा (हेक्टेयर में)
1.	197	बंझड	3.4750	0.3091
2.	199	बंझड	0.6144	0.6144
3.	200	बंझड	0.2328	0.2328
4.	201	बंझड	1.9898	1.4837
कुल रकबा			6.3120	2.6400

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

उपरोक्त विवेचना के आधार पर सम्पूर्ण रकबे में से लीज क्षैत्र (2.6400 हेक्टेयर) का वर्तमान प्रचलित DLC दर निम्नानुसार मुआवजा निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपयों में)
1.	संपूर्ण कृषि भूमि का मूल्य (DLC दर) अथवा बाजार दर	6,89,040
2.	DLC दर × 4 (खनन क्षैत्र होने से)	27,56,160
3.	कुल सम्पत्तियॉ (Total Assests)	शुन्य
4.	योग (2+3)	27,56,160
5.	तोषण राशि	27,56,160
6.	कुल देय मुआवजा राशि (4+5)	55,12,320

:: आदेश ::

अतः भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 का वादग्रस्त भूमि का सतही अधिकार प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र इस आदेश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रार्थीगण उपरोक्त राशि 55,12,320/– (अक्षरे पच्चपन लाख बारह हजार तीन सौ बीस रूपये) अप्रार्थीगण को भूगतान करेगा एवं भूगतान पश्चात सम्बन्धित तहसीलदार उक्त भूमि का कब्जा प्रार्थीगण को सूपूर्द करेगा। यदि अप्रार्थीगण उक्त मुआवजा लेने से इनकार करता है तो प्रार्थी उक्त मुआवजा राशि को तहसील कार्यालय में जमा करवायेगा और उसके उपरान्त वादग्रस्त भूमि का कब्जा तहसीलदार द्वारा प्रार्थी को सूपूर्द किया जायेगा। तहसीलदार राजस्व अभिलेखों में इस संबंध में अंकन करना सुनिश्चित करें।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)